भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड–3 उप खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन

अधिसूचना सं0 112 (आर.ई.–2013)/2009–2014
नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी, 2015

विषयः आलू के निर्यात के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाना।

सा.आ.(अ.) विदेश व्यापार नीति, 2009–14 के पैरा 1.3 के साथ पठित यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं.22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, आलू के निर्यात से संबंधित दिनांक 26 जून, 2014 की अधिसूचना सं. 85 (आर.ई.–2013)/2009–2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. तत्काल प्रभाव से, दिनांक 26 जून, 2014 की अधिसूचना सं. 85 (आर.ई.–2013)/2009–2014 के पैरा 2 की तालिका को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:

क्रम सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	प्रतिबंध का स्वरूप
50क	07019000	किग्रा.	आलू, ताजे अथवा प्रशीतित	मुक्त	

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

आलू के निर्यात के न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया गया है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ईमेलः dgft[at]nic[dot]in

(फा0सं0 01/91/180/82/एएम15/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)